राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
42/2025	10.06.2025	09.10.2025

बउनवान

कमली पत्नी अंगद, निवासी पातरखेडा, तहसील बसवा, जिला दौसा।

..प्रार्थिया

बनाम

तहसीलदार बैजूपाडा, जिला दौसा, राजस्थान।

..अप्रार्थी

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री छोटेलाल यादव।

प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिया की खातेदारी कब्जा काश्त की विवादित आराजी भूमि खसरा सं. 135, रकबा 0.53 हैक्टे. ग्राम कानेटी, पटवार हल्का महुखुर्द, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जो प्रार्थिया की कब्जा काश्त की खातेदारी की आराजी है। प्रार्थिया ने उक्त विवादित आराजी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्वक उपयोग हेतु पैमाईश के लिए भूमिधारी अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा, जिला दौसा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर अप्रार्थी 1 तहसीलदार बैजूपाडा ने आदेश क्रमांक भू.अ./2025/3382/2 दिनांक 14.05.2025 को पटवारी हल्का को आदेशित किया गया। दिनांक 26.05.2025 को उक्त आदेशों की पालना में ग्राम कानेटी, पटवार हल्का महुखुर्द, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा के मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचकर सीमाज्ञान हेतु खसरा सं. 135 के सीमाज्ञान हेतु राजस्व शीट से मिलान किया गया। सीमाज्ञान हेतु मुस्तकिल बिन्दुओं से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 135 का सीमाज्ञान किया गया। उक्त सीमाज्ञान के समय प्रार्थिया मौके पर मौजूद रही। प्रार्थिया सीमाज्ञान से संतुष्ट किया। मौका पर्चा मौके पर तैयार किया गया, पढकर सुनाया गया तथा उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त आराजी पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 26.05.2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थिया ने अपनी उपरोक्त आराजी की मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट पत्थरगढी कराये जाने हेतु अप्रार्थी से अनेक बार निवेदन किया है लेकिन अप्रार्थी उक्त आराजी की मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट के पत्थरगढी नहीं करा रहे हैं तथा न्यायालय से आदेश की कह रहे हैं। इस कारण प्रार्थिया को यह प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी का पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा भूमिधारी का यह दायित्व है कि वह अपने क्षेत्र की आराजी को मौका रिकॉर्ड व नक्शा दुरुस्त रखे लेकिन अप्रार्थी तहसीलदार मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 26.05.2025 के उक्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आराजी की पत्थरगढी नहीं करा रहे है। इस कारण प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट के आराजी की पत्थगढी कराये जाने हेतु पेश करना आवश्यक हो गया है। पक्षकारान की विवादित आराजी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के श्रवण योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थिया के कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 135 रकबा 0.53 हैक्टे. की मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 26.05.2025 के पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया एवं अप्राथी को जरिये नोटिस तामील करवाई गई। अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

3. पत्रावली, विवादित आराजी की प्रस्तुत नकल जमाबन्दी व पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 26.05.2025 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 ग्राम कानेटी, पटवार हल्का महुखुर्द तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित उक्त विवादित आराजी खसरा सं. 135 की प्रार्थिया दर्ज रिकॉर्ड सहखातेदार है। उक्त आराजी के अन्य 09 सहखातेदारों को प्रार्थिया के द्वारा इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिये प्रार्थिया के द्वारा सभी सहखातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना आवश्यक था। सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

आदेश

4. प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

5. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 09.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)